निविदा प्रपत्र

फार्म ठेका वर्ष

2019—2020 व 2020—2021

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

CIN-U75132RJ1978SGC001781

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर—302005

निविदा प्रपत्र संख्या ————————————
निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 500/— मात्र
रसीद संख्या ———–दिनांकः————————

हस्ताक्षर
क्षेत्रीय प्रबन्धक————————

एक वर्ष(2019—2020) व दो वर्ष (2019—2020 व 2020—2021) के लिये निगम फार्मो को बीज उत्पादन हेतु ठेके पर लेने के लिए निविदा प्रपत्र

फार्म का नाम..............................

अमानत (EMD) राशि रूपये 50000/— मात्र जरिये डिमान्ड ड्राफ्ट संख्या/बैंकर्स चैक/नकद ——— दिनांक ———
निविदादाता का नाम ————————————————————————————
पूरा पता ———————————————————————————————
———————————————————————————————————
दूरभाष नम्बर ———————— मोबाइल नम्बर ————————————————
निविदादाता द्वारा दी गई वर्षवार दर :—

क्र. सं.	वर्ष	ठेका राशि अंको में (घास, लूम व पातडी सहित)	ठेका राशि शब्दों में (घास, लूम व पातडी सहित)
1	2019—20		
2	2020—21		

हमने उपरोक्त वर्णित फार्म का निरीक्षण कर लिया है व निविदा की शर्ते भी पढ़ ली है, जिनसे हम पूर्णतया सहमत है। हमारी दरे निविदा की शर्तो अनुसार ही दी गई है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांकः— ....

स्थानः— ....

निविदादाता का नाम व पूरा पता

फार्म ठेका शर्तेः–

1. राज्य सरकार के आदेशानुसार किसी भी परिवार/व्यक्ति/ठेकेदार/संस्थान के पास फार्म का ठेका लगातार तीन वर्षों से अधिक नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति/ठेकेदार/संस्थान के पास फार्म का ठेका पूर्व में एक वर्ष हेतु है तो, उच्चतम बोली देने पर दो वर्ष, अगर गत दो वर्षों से फार्म ठेके पर है तो, उच्चतम बोली देने पर वह एक वर्ष हेतु ठेका लेने का ही पात्र होगा एवं जिसके तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, वह फार्म का ठेका लेने का पात्र नहीं होगा।

2. किसी भी परिवार/व्यक्ति/ठेकेदार/संस्थान जिसके द्वारा फार्म ठेके पर लिया जायेगा को क्षेत्रीय प्रबन्धक के कार्यालय में हैसियत प्रमाण पत्र एवं चल व अचल सम्पत्ति का विवरण/जानकारी जो कि न्यूनतम ठेका राशि के समकक्ष हो को, अनिवार्य रूप से कार्यादेश प्राप्त करते समय जमा कराना होगा।

3. ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को निविदा के साथ 50000/–रू. प्रति फार्म हेतु अमानत राशि (EMD) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नकद सम्बंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के नाम प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. निविदा फार्म की निर्धारित फीस रू. 500/– जमा कराकर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से निविदा प्रकाशन की दिनांक से 10.05.2019 को प्रातः 11:30 बजे तक किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त किये जा सकेगे।

5. निविदा सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 10.05.2019 को दोपहर 12:00 बजे तक संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में जमा करायी जा सकेगी एवं प्राप्त निविदाऐं उसी दिन अपरान्ह 1:00 बजे निर्धारित कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निर्धारित समय उपरान्त प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र में स्वीकार की जावेगी।

6. यदि राज्य सरकार द्वारा निगम के किसी फार्म की अथवा फार्म के हिस्से की मांग की जाती हैं तो राज्य सरकार की मांग के मद्देनजर ठेकेदार को पूर्ण फार्म अथवा फार्म के निर्देशित हिस्से को पुनः निगम को लौटाना होगा (इस बाबत सीजन समाप्ति के साथ ही अथवा तीन माह के नोटिस पर फार्म का हिस्सा अथवा पूरा फार्म निगम को पुनः लौटाना होगा)। निगम को प्राप्त होने वाली ठेके की राशि का निर्धारण इसी के अनुरूप किया जाएगा तथा निर्धारित राशि ठेकेदार को बिना किसी शर्त के माननी होगी।

7. फार्म जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में दिया जायेगा तथा निविदा पश्चात फार्म पर किसी भी अन्य सुविधा की यदि मांग की जाती है तो वह मान्य नही होगी। जिन फार्मो पर सिंचाई का साधन या ट्यूवेल स्थित है वहॉ ठेकेदार अपने स्वयं के संसाधनों से ही इनका पानी उपयोग में ले सकता है।

8. फार्म को ठेके पर लेने के उपरान्त किसी भी कारण अथवा परिस्थितिवश फसल नही हो पाती है तो निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

9. बीजोत्पादन के लिए आधार/प्रजनक बीज निगम द्वारा निर्धारित दर पर नगद ही विक्रय किया जावेगा।

10. ठेकेदार द्वारा **यदि फार्म एक वर्ष के लिए ही लेना है तो एक वर्ष की दर, यदि दो वर्ष हेतु लेना है तो दो वर्ष की दर अलग–अलग प्रस्तुत करनी होगी।**

निविदादाता के हस्ताक्षर

11. फार्म पर ठेकेदार द्वारा बिजली के किये गये समस्त प्रकार के उपयोग (निगम की सबमर्सिबल मोटर लगी होने पर ठेकेदार द्वारा उसका उपयोग करने व अन्य उपयोग) करने पर बिजली के बिल का खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा। **ठेकेदार द्वारा ट्यूबवेल/बोरवेल/कुँए तथा अन्य बिजली कनेक्शन का उपयोग नहीं करने की दशा में भी बिजली विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले न्यूनतम बिल का भुगतान भी ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर किया जाना अनिवार्य होगा।** बिजली बिल के भुगतान की रसीद क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में जमा करानी होगी। बिजली अन्य कृषि उपकरण/मशीनरी की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को अपने स्तर पर करनी होगी।

12. फार्म पर उपलब्ध कृषि उपकरण/मशीनरी देने या न देने का निर्णय निगम का होगा। निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी समस्त मशीनरी व मोटर आदि की मरम्मत, रख–रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।

13. ठेकेदार फार्म के ठेके से पूर्व फार्म पर स्थित समस्त परिसम्पत्ति (चल व अचल) हेतु अन्डरटेकिंग देगा व ठेका पूर्ण होने पर यथा स्थिति में निगम को लौटायेगा। विभागीय भवनों का व्यवसायिक उपयोग नही करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का ह्रास या नुकसान होने की स्थिति में इसकी भरपायी ठेकेदार से की जावेगी।

14. पानी की नालियां/सिंचाई धोरे इत्यादि की सफाई स्वंय को करनी होगी।

15. बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए पृथक्करण दूरी, रोगिंग व अन्य कार्य प्रमाणीकरण मापदण्डों के अनुसार ही रखना/करना होगा।

16. बीज की बुवाई, रोगिंग, फसल कटाई, थ्रेसिंग, बीज को बोरियों में भरना इत्यादि कार्य निगम प्रतिनिधि के निर्देशानुसार ही सम्पन्न कराये जावेंगे।

17. यदि ठेकेदार द्वारा प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियो द्वारा अन्तिम निरीक्षण के दौरान दी गयी न्यूनतम अनुमानित उपज़ के 80 प्रतिशत से कम रॉ बीज जमा कराया जाता हैं तो उसे क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में उस सीज़न के छः माह(खरीफ सीज़न की फसलों के लिए अप्रैल से सितम्बर माह तक तथा रबी फसलों के लिए अक्टूबर से मार्च माह तक) के ठेके की राशि का 5 प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में जमा करानी होगी। यदि प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियो द्वारा अनुमानित उपज़ आंकलन करने के पश्चात् मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों की वज़ह से उत्पादन न्यूनतम अनुमानित उपज़ से कम होता है तो उक्त परिस्थितियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जुर्माना राशि माफ करने का अधिकार प्रबंध निदेशक को होगा।

18. बीजोत्पादन के लिए कृषि विभाग की सिफारिशों के अनुसार बीज उपचार, खाद एवं उर्वरक उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग इत्यादि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रयोग में लाने होंगे।

19. बीज उत्पादन प्रक्रिया पर होने वाले समस्त प्रकार के खर्चे ठेकेदार को वहन करने होंगे।

20. फार्म पर जो भी परिसम्पत्तियां ठेकेदार को सौंपी जायेंगी, उनकी सुरक्षा तथा ठेका अवधि समाप्त होने के बाद उनको वापिस उसी अवस्था में निगम को लौटाने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा। ठेकेदार द्वारा निगम की किसी परिसम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर या निगम को वापिस नहीं लौटाने पर निगम को होने वाली हानि का आंकलन क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा किया जावेगा तथा यह राशि क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर